



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2799]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2016/अग्रहायण 8, 1938

No. 2799]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2016/AGRAHAYANA 8, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

का.आ. 3577(अ).—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की अनुसूची I के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, राजसहायता प्राप्त मूल्य चावल के लिए 3 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज के लिए 1 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित करती है।

[सं. 15-8/2014-एनएफएसए]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2016

S.O. 3577(E).—In pursuance of provisions of Schedule I to the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government hereby fixes the subsidised price at rupees 3 per kg for rice, rupees 2 per kg for wheat and rupee 1 per kg for coarse grains, for a period ending on the 31st March, 2017.

[No. 15-8/2014-NFSA]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser